न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–
रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
02/2017/प्रा.पत्र/2017	12.01.2017	17.10..2024

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण, टोंक ....प्रार्थी

बनाम

1–श्री सुरेन्द्र कुमार नामा पुत्र श्री सत्यनारायण नामा जाति छीपा निवासी सदर बाजार मेन मार्केट सोंप तह. उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स मनोज किराणा स्टोर बस स्टैण्ड सोंप तह. उनियारा जिला टोंक राज0।

2–मैसर्स मनोज किराणा स्टोर बस स्टैण्ड सोंप तह. उनियारा जिला टोंक राज0।

3–श्री मुकेश गुप्ता निवासी हनुमान नगर हाउसिंग बोर्ड सवाई माधोपुर प्रोपरायटर मैसर्स पंकज ट्रेडर्स हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सब्जी मण्डी सवाई माधोपुर राज0।

4– मैसर्स पंकज ट्रेडर्स हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सब्जी मण्डी सवाई माधोपुर राज0।

5–श्री जगदीश केवलचन्द नाहता नॉमिनी मैसर्स नाहता साल्ट एण्ड केमिकल प्रा0 लि0 नाहता हाउस बी.बी.जेड नोर्थ 56, झण्डा चौक गॉधीधाम कच्छ गुजरात राज0।

6–मैसर्स नाहता साल्ट एण्ड केमिकल प्रा0 लि0 नाहता हाउस बी.बी.जेड नोर्थ 56, झण्डा चौक गॉधीधाम कच्छ गुजरात राज0

............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थी सं.1ता 4 उपस्थित, अप्राथी सं 5 व 6 अनुपस्थित।

दिनांक 17.10.2024

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 17.02.2016 को समय 02:30 पी.एम. पर मैसर्स मनोज किराणा स्टोर बस स्टैण्ड सोंप तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रता के हैसियत से श्री सुरेन्द्र कुमार नामा पुत्र श्री सत्यनारायण नामा अपने प्रतिष्ठान मैसर्स मनोज किराणा स्टोर बस स्टैण्ड सोंप तह. उनियारा पर खाद्य पदार्थ कन्फैक्शनरी,तेल,घी,शक्कर अलग–अलग प्रकार के मसालों का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री सुरेन्द्र कुमार नामा पुत्र श्री सत्यनारायण नामा को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सुरेन्द्र कुमार नामा पुत्र श्री सत्यनारायण नामा ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रता होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं होना स्वीकार किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में एक कट्टे में 1–1 किलोग्राम पैक के 170 पैकेट पैक्ड

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अवस्था में **आयोडाईज्ड नमक(आई–फ्रेश ब्रांड)** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री सुरेन्द्र कुमार नामा पुत्र श्री सत्यनारायण नामा को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री सुरेन्द्र कुमार नामा एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **आयोडाईज्ड नमक(आई–फ्रेश ब्रांड)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, दुकान में एक कट्टे में 1–1 किलोग्राम के लगभग 170 मूल पैक पैक्ड अवस्था में **आयोडाईज्ड नमक(आई–फ्रेश ब्रांड)** जिसके बैंच नम्बर 08 एवं पैंकिग की दिनांक 08 / 2015 थी ज्यों का त्यों 4 मूल पैक **आयोडाईज्ड नमक(आई–फ्रेश ब्रांड)**वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1–1 किलोग्राम **आयोडाईज्ड नमक(आई–फ्रेश ब्रांड)** को बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाय प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1280 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1280 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री सुरेन्द्र कुमार नामा पुत्र श्री सत्यनारायण नामा मैसर्स मनोज किराणा स्टोर बस स्टैण्ड सोंप तह. उनियारा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया परन्तु बाद में कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर मैसर्स पंकज ट्रेडर्स हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सब्जी मण्डी सवाई माधोपुर राज0 का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स पंकज ट्रेडर्स को बिल प्रेषित करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स नाहता साल्ट एण्ड केमिकल प्रा0 लि0 नाहता हाउस बी.बी.जेड नोर्थ 56, झण्डा चौक गॉधीधाम कच्छ गुजरात राज0 का बिल प्रेषित कर उक्त खाद्य प्रदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए / 16 / 1722 दिनांक 25.04..2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस / 86 / एक्ट / 2016 / 136 दिनांक 23.02.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **आयोडाईज्ड नमक(आई–फ्रेश ब्रांड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

उक्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध मैसर्स पंकज ट्रेडर्स के व्यवहारी ने पुनः नमूना विश्लेषण हेतु फार्म नं. 8 प्रस्तुत कर अपील दायर की। इस बाबत उक्त नमूना निदेशक रैफरल लैब पुणे में जांच हेतु रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भिजवाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/16/3631 दिनांक 15.09.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि निदेशक रैफरल लैब पुणे से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं. डी.ओ./172/553/2016 के अनुसार विक्रेता से नमूना जांच कय किया गया **आयोडाईज्ड नमक(आई–फ्रेश ब्रांड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य है। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1ता 4 की ओर से अभिभाषक अनिल कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। उक्त नमक में कोई बाह्य पद्रार्थ नहीं मिलाया गया है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। अप्रार्थी सं0 5 व 6 को बार–बार रजि. नोटिस जारी करने पर भी अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। अतः दिनांक 01.02.2024 को अप्रार्थी सं0 5 व 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **आयोडाईज्ड नमक(आई–फ्रेश ब्रांड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 4 एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **आयोडाईज्ड नमक(आई–फ्रेश ब्रांड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अप्रार्थी सं. 5 व 6 को निर्णय की सूचना हेतु पत्र लिखा जावें। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.10.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0